

बिहार सरकार
वाणिज्य-कर विभाग
—:अधिसूचना:—

संचिका संख्या :—6/अ0-03-06/2011

पटना, दिनांक—

श्री प्रियदर्शी रंजन, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक—04.06.2026 से 19.06.2026 तक कुल 16 (सोलह) दिनों का उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के उपरांत श्री रंजन के अवकाश लेखा में $(300-16=284)$ (दो सौ चौरासी) दिन उपार्जित अवकाश शेष रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/—

(विजय कुमार)
सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:—6/अ0-03-06/2011 1916

/पटना, दिनांक— 27/05/26

प्रतिलिपि:—प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0)विभाग, बिहार, पटना—800015/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बिहारशरीफ, नालन्दा/राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमण्डल, पटना/नोडल पदाधिकारी (स्था0), एच0आर0 एम0एस0, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना/आई0टी0 मैनेजर, वाणिज्य-कर विभाग, बिहार, पटना एवं श्री प्रियदर्शी रंजन, राज्य-कर अपर आयुक्त (प्रभारी), बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव,
वाणिज्य-कर विभाग,
बिहार, पटना।